

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्ती, जयपुर

प्रतिवादीगण

रमेशचन्द व अन्य

संभव

बनाम

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. एक्ट

6/20

66/20

आज्ञा कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

11.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत 88,89,188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/12/2020 को पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्ती, जयपुर

18/12/2020 नोटिस जारी

8/12/20

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वकील उर्फ वकील वकील बना वकील ने पेश किया गए नोटिस पत्रावली पर लॉटि नहीं। वकील वकील पुत्र, प्रतिवादीगण के नोटिस पेश कर। पत्रावली दिनांक 8/12/20 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्ती जिला-जयपुर

8/2/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहू द्वारा कार्य में बाधा रहने के कारण पत्रावली नहीं जा सकी, पत्रावली दिनांक 18/2/24 को पेश हो।

8/2/24

पत्रावली पेश हुई। कलाय द्वारा डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 15/4/24 को पेश हो।

6/4/24

पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र वाक्या पत्रावली का आज प्रत्येक कर पहिले दिने शासिक कार्य धाने का पेश करने उपरान्त धरु विपदा पेशी दिनांक 15/4/24 से आज तलक ली गरी। वादी एवं वकील वादी के

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्ती जिला-जयपुर

संजय कुमार सिंह  
6/4/2024

के द्वारा न्यायालय एजा से निवेदन किया  
गया है। वादी एवं का अपने पीता गैरबन्द  
अंशर से राजीनामा है गया है। आता।

वादी श्रेय वस वाद पत्र को आठि नटी-चलाना  
चाहता है। न्यायालय एजा के द्वारा वाद पत्र  
का अवलोकन किया जाकर वादी को मखियम के  
वाद कारण उत्पन्न होने की स्थिति में न्या वाद  
प्रस्तुत करने की स्पष्टता प्रब्यान की जाकर  
वाद को जसिस्टे विद्वा खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केसल शुमार लेकर 4 जे नम्बर  
से कम होने पर दाखिल पत्रार है।

निर्णय आज दिनांक 6/4/2021 को अखिले न्यायालय  
एज से अजलास सुनाया गया

*Kin*  
उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
बस्ती जिला-जयपुर